न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 11 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कुंभाराम दतक पुत्र भलाराम
2. जंझाराम पुत्र मेहराराम
3. खेमाराम पुत्र मेहराराम
4. श्रीमती हेमी पत्नी मेहराराम
5. पोकराराम पुत्र देदाराम
6. भीखाराम पुत्र देदाराम
7. धर्माराम पुत्र देदाराम
8. पेमाराम पुत्र देदाराम
9. धीमाराम पुत्र चिमाराम
10. वेहनाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी ओकातिया तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.खींयाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी आकोतिया तला
2.बांकाराम पुत्र लाधाराम
3.जोगाराम पुत्र लाधाराम
4.श्रीमती भुरी पत्नी लाधाराम
5.दमाराम पुत्र सुराराम जाति जाट निवासी दुदु
6.पोकरराम पुत्र खुमाराम का.मु.
6 / 1हरजीराम पुत्र पोकरराम
6 / 2गंगाराम पुत्र पोकरराम
6 / 3चुनाराम पुत्र पोकरराम
6 / 4जेहाराम पुत्र पोकरराम
6 / 5श्रीमती पारूदेवी पत्नी पोकरराम
7.सुरताराम पुत्र खुमाराम का.मु. सुरताराम ज्येष्ठ पुत्र लाधाराम फौत होने पर उनके का.मु.
7 / 1लाधाराम पुत्र सुरताराम का.मु.
7 / 1 / 1बांकाराम पुत्र लाधाराम
7 / 1 / 2जोगाराम पुत्र लाधाराम
7 / 1 / 3भुरीदेवी पत्नी लाधाराम
7 / 2दमाराम पुत्र सुरताराम
8.मेघाराम पुत्र खुमाराम
9.बागाराम पुत्र दुर्गाराम
10.घमण्डाराम पुत्र दुर्गाराम
11.मोटाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी ओकातिया तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148 / 2012

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

बअनवान खींयाराम बनाम कुंभाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.12.2012 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री पवनगिरी सोडियार अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 15.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199/1 रकबा 03.08 बीघा भूमि मौजा आकोतिया तला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 244, 247, 245, 207, 205, 203 से 199 में से जाना पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य आदेश से प्रस्तावित रास्ते के अलावा भी रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि तक जाना हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है फिर भी अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट की भूमि पर आने जाने हेतु पास में सरकारी कटाण रास्ता उपलब्ध है जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से

राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपीलाधीन आदेशन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अपीलांट की आपत्तियों का निस्तारण नहीं करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे-बैठे पटवारीगण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199/1 रकबा 03.00 बीघा ग्राम ओकातिया तला तहसील गुड़ामालानी में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विवेचन एवं सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक वृत्तांत पेश किये:-

RRT 20019(2) Page 1098
RRD 2019 Page 119
RRD 2020 Page 240

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 13.08.2012 में स्पष्ट किया गया है कि अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ता कच्चीगी रास्ता है। कच्चीगी रास्ता होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

अपीलांटगण येन केन प्रकारेण रास्ते में अवरोध डालकर रास्ते को खारिज करने की मांग कर रहा है जो अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने प्रचलित कदीमी रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वाद विस्तृत विवेचन किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148/2012 बअनवान खींयाराम बनाम कुंभाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर